निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 31 / 2023
दायरा दिनांकः—21.09.2023
निर्णय दिनांकः— 22-12-24

उनवान

कृष्णमुरारी आयु 33 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति काछी निवासी टोडी मोहल्ला छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 22.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भंवरसिंह जादौन — प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वंय की तनहा खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 83 की खसरा संख्या 12/1 की रकबा 0.5438 है०, भूमि वाके माल टोड़ी तहसील छबड़ा जिला बारा (राज०) में स्थित है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता का फौती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से इन्तकाल मे कृष्णमुरारी के स्थान पर घर मे बोलता नाम मुरारी जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कृष्णमुरारी है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर मुरारी के स्थान पर कृष्णमुरारी किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थीया का नाम कृष्णमुरारी दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम मुरारी दर्ज होने से जर्ये क्रेन्द्र सस्कार राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान केडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर, तारफैन्सिग कर भूमि समतल करवाकर

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रगति शील काश्त करना चाहता है परन्तु जो प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है।

प्रार्थी दिनांक 12/09/2023 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो उसे हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की त्रुटि की जानकारी हुई। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित राजस्व रिकार्ड के खाते मे नाबालिंग दर्ज है जबकि वर्तमान में प्रार्थी पूर्णतया बालिंग है। तथा वर्तमान में उसकी आयु 33 वर्ष है। प्रार्थी को नाबालिंग के स्थान पर बालिंग किये जाने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 83 फोटो प्रति आधार कार्ड, कृष्णमुरारी फोटो प्रति फोटो पहचान पत्र, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, फोटो प्रति बैंक पास बुक फोटो प्रति पेन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम टोडी तहसील छबडा में स्थित है। प्राथ्री के पिता की मृत्यु होने के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से इन्तकाल में कृष्णमुरारी के स्थान पर घर में बोलतें नाम मुरारी दज्र कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कृष्णमुरारी है प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में कृष्णमुरारी दर्ज है राजस्व रिकार्ड में मुरारी दर्ज होने से राज्य सरकार से मिलनें वाले लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें प्रार्थी का नाम मुरारी के स्थान पर कृष्णमुरारी दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। लोक आदालत की भावना से वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार ने मामला लोक अदालत में निस्तारण का अग्रह किया जिसको स्वीकार कर पत्रावली को लोक अदालत में दिनांक 22.12.2024 में रखने हेतु निस्तारित किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 83 में प्रार्थी का नाम मुरारीलाल दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में कृष्णमुरारी दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम टोडी की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खसरा नम्बर 12/1 रकबा 0.5438 है0 भूमि नाबा0 मुरारीलाल पुत्र नन्दकिशोर सरपरस्त पिता के नाम खातेदार दर्ज है मौके पर उपस्थित ग्राम वासियो व दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कृष्णमुरारी है ग्राम वासियो ने बताया कि मुरारी व कृष्णमुरारी दोनो एक ही व्यक्ति का नाम है। कृष्णमुरारी का ही बोलता नाम मुरारी है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम मुरारी के स्थान पर कृष्णमुरारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम टोडी तहसील छबडा के खाता संख्या 83 के खसरा नम्बर 12/1 रकबा 0.5438 है0 में प्रार्थी का नाम नाबालिग मुरारीलाल पुत्र नन्दकिशोर के स्थान पर कृष्णमुरारी पुत्र नन्दकिशोर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा